

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0...../व्यवहार न्यायालयों में पुराने दिनांक.....
लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित
वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक
न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की
अधिसूचना संख्या-1037 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को
छः माह के लिए पुनर्नियोजित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-11281
दिनांक 01.09.2017 द्वारा उपर्युक्त कार्यरत् पीठासीन पदाधिकारियों की सेवा डेढ़ माह के
लिए विस्तारित की गयी।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-9894 दिनांक 05.02.2018 द्वारा प्राप्त
अनुशांसा सह संलग्न सूची में उल्लिखित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारियों
के पदों पर कार्यरत् कुल 47 (सैंतालीस) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी
नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् से छः माह तक पुनर्नियोजन की अवधि
के विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0.....पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो
प्रतियों में) प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-4-04/2016सा0प्र0...3828.....पटना-15, दिनांक...20-3-18.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को महानिबंधक, उच्च
न्यायालय, पटना के पत्रांक-9894 दिनांक 05.02.2018 सह संलग्न सूची के साथ/
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार,
पटना /सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग,
पटना /सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित जिला कोषागार
पदाधिकारी/सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

सरकार के अवर सचिव।